न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त. / 81 / 2024

1. बंदना पत्नि हितेन्द्र कुमार
2. हितेन्द्र कुमार पुत्र कजौडीलाल

} जाति वैश्य निवासी मण्डावर तहसील महुआ जिला दौसा (राज0)

..........प्रार्थी0

बनाम

1. हरी पुत्र बुद्धी
2. करतार पुत्र बुद्धी
3. बीरवल पुत्र बुद्धी
4. रामवीर पुत्र करनसिंह
5. विमलेश पुत्री बुद्धी
6. हरदेई पुत्री बुद्धी

} जातियान जाट निवासी ग्रांम बेरी तहसील वैर जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

बनाम

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी वैर व मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. संख्या 20 / 2023 उनवानी बंदना बनाम सरकार

उपस्थितः—
1—श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक प्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 22.01.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्ड अधिकारी वैर इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट उनवानी बंदना बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 11 / 2023 विचाराधीन था। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 22 / 2023 उनवानी हरी वगै0 बनाम ललित मीणा वगै0 को न्यायालय हाजा से दिनांक 25.01.2024 को स्वीकार करते हुये न्यायालय उपखण्डाधिकारी वैर से न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर मुन्तकिल किया गया है। जिसकी पालना में उपखण्डाधिकारी वैर के यहॉ विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 की पत्रावली ही न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर को भेजी गई है जवकि इसी पत्रावली का पार्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. था को भी पत्रावली संख्या 11 / 2023 के साथ में भिजवाना चाहिये था जिसे नहीं भिजवाया

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

गया है। अन्त में निवेदन किया है कि पत्रावली अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 151जा.दी. को भी न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर को भिजवाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय की पूर्व निर्णित पत्रावली प्रकरण सं0 22/2023 उनवानी हरी वगै0 बनाम ललित मीणा वगै0 निर्णय दिनांक 25.01.2024 को कार्यालय से तलब किया गया। प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक प्रार्थी की प्रार्थना पर गौर किया गया। पूर्व पत्रावली संख्या 22/2023 का अवलोकन किया गया। जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2024 में पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट उनवानी बंदना बनाम सरकार को उपखण्डाधिकारी भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया है। उक्त पत्रावली का पार्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. जो कि उपखण्डाधिकारी वैर ने पत्रावली के साथ उपखण्डाधिकारी भरतपुर को नहीं भिजवाया गया है। जिसे भिजवाया जाना आवश्यक था।

अस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य रहता है, तथा उपखण्डाधिकारी वैर को पत्रावली संख्या 20/2023 उनवानी बंदना बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. स्थानान्तरण हेतु आदेशित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्डाधिकारी वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं0 20/2023 उनवानी बंदना बनाम सरकार अंतर्गत धारा 151 जा.दी. को भी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर को पालनार्थ प्रेपित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर